न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–16/2020

फूलमती देवी.....वादिनी

बनाम

रामाशंकर बरई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
03.04.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख आवेदकगणों की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16.02.2023 को दिये गये आवेदन के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। आवेदकगणों की ओर से आदेश 01 नियम 10(2) एवं धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** आवेदगणों की ओर से दिनांक 16.02.2023 को आदेश 01 नियम 10(2) एवं दफा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया कि प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा वादपत्र के मद सं0–01 में दी गयी वादग्रस्त भूमि में अपने आधे हिस्से के लिए दाखिल किया है तथा वादपत्र के अंत में एक गलत वंशावली दी गयी है तथा तथ्यों को छुपाकर आवेदकगणों को पक्षकार नही बनाया गया है तथा आवेदकगणों के हिस्से की भूमि भी बाँट लेने का प्रयास किया गया है। दुखी बरई के तीन लडके जीवन बरई, रामउगरे बरई तथा रामटहल बरई एवं एक लडकी चाँनमती देवी थी। दुखी बरई तथा चाँनमती देवी सर्वेहाल के पूर्व मर गये। हालसर्वे खतियान जीवन बरई, रामउगरे बरई तथा रामटहल बरई के नाम पर मुन्दर्ज हुआ। बाद में रामउगरे बरई नावल्द हो गये तथा रामटहल बरई अलग हो गये। कुल मौरूसी जायदाद अपने हिस्से के अनुसार हकियत एवं कब्जें में चले आये। वादग्रस्त भूमि जीवन बरई के चार पुत्रों के संयुक्त संपति है तथा हिन्दु कानून की तहत संयुक्तता की उपधारणा है लेहाजा वादग्रस्त भूमि में आवेदकगणों का भी हित निहित है। आवेदकगण प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। आवेदकगणों द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में गोपालगंज का सर्वेहाल खाता सं0–25 एवं 126 की सच्ची	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–16/2020</u>

फूलमती देवी.....वादिनी

बनाम

रामाशंकर बरई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 03.04.2024	प्रतिलिपि ग्राम कचहरी उचक गाँव के सरपंच द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र भी दाखिल किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदकगणों को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाने की कृपा करें। वादिनी की ओर से आवेदकगणों के आवेदन का प्रत्युत्त दिनांक 03.05.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदकगणों का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य है। आवेदकगणों का वादग्रस्त भूमि में कोई हित निहित नही है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत बंटवारा वाद में आवेदकगण भी आवश्यक पक्षकार है क्योंकि ग्राम कचहरी उचकागाँव के सरपंच द्वारा जारी वंशावली में आवेदकगण भी दुखी बरई के वंशज है। प्रस्तुत वाद बंटवारा वाद है। वादग्रस्त भूमि में आवेदकगणों का हिस्सा होना भी दर्शित होता है। अतः न्यायहित में आवेदकगणों का आवेदन दिनांक 16.02.2023 को स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन में वर्णित आवेदकगणों को क्रमानुसार प्रतिवादी कॉलम में पक्षकार बनावें। वाद दिनांक 13.05.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	